<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-22, कानपुर नगर</u>

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं०-2275/2026

CNR No. UPKN01 006585 2026

नीरज कुमार पुत्र राजेश उम्र 21 वर्ष, निवासीः 86/डी सांई पुरवा, झकरकटी, टी०पी० नगर, कानपुर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा डी०जी०सी० (फौजदारी), कानपुर नगर।

.....अभियोजनपक्ष

मु०अ०सं०-77/2026,
धारा-304(2), 317(2), 3(5) बी०एन०एस०,
थाना-रेलबाजार, कानपुर नगर।

<u>01.07.2026-</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक/अभियुक्त नीरज कुमार की तरफ से, मु०अ०सं०-77/2026, धारा-304(4), 317(2), 3(5) बी०एन०एस०, थाना-रेलबाजार, कानपुर नगर के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र अभियुक्त की माँ व पैरोकारा आशा की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र, किसी भी सक्षम न्यायालय, अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा एक प्रार्थनापत्र, थाना प्रभारी, थाना रेलबाजार, कानपुर नगर को इस आशय का दिया गया कि आज दिनांक 15/05/2026 को मैं ट्यूशन पढ़ाकर, मरी कंपनी पुल के पास पैदल जा रही थी, मेरे हाथ में मेरा oppo का फोन था। अचानक पीछे से दो लड़के बाइक से आये और मेरे हाथ से मेरा फोन झपटकर ले गए। मैं उनके पीछे भागी, लेकिन वो तेजी से लखनऊ फाटक की तरफ मुड़ गए। बाइक के पीछे जो व्यक्ति था, जिसने मेरा फोन छीना था, उसने अपना मुंह सफेद कपड़े से बांधा हुआ था, बाइक का रंग सफेद था व उसके पहिए नीले थे, मैं बाइक का पूरा नंबर नहीं देख पाई, बस UP 78 देखा था। श्रीमान जी से अनुरोध है कि मेरे फोन को तलाश करने की कृपा करें और बाइक सवार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। मेरे फोन में JIO का सिम था, जिसका नं0 92361XXXXX है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह पूर्णतया निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा ने घटना में घटना का समय नहीं दर्शाया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट रात 10:53 बजे पंजीकृत की गयी है। फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से दो मोबाइल बरामद होना दर्शाया गया है, जो मोबाईल ओप्पो का वादिनी मुकदमा ने छीनकर ले जाना बताया है, उपरोक्त फर्द बरामदगी में उस मोबाइल की ई०एम०ई०आई० नम्बर व माडल नम्बर नहीं दिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से जो मोबाइल बरामद दिखाया गया है, वह मोबाइल ओप्पो का सह अभियुक्त का स्वयं का है, अभियुक्त केवल संयोग वश सहअभियुक्त की बाईक के पीछे बैठा था। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियुक्त को थाना रेलबाजार की पुलिस अभियुक्त के घर से पूछताछ हेतु ले गयी और उपरोक्त मुकदमें में झूठा व रंजिशन मुल्जिम बनाया है। अभियुक्त की ओर से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 27.05.2026 को निरस्त किया गया, जिसकी मूल प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक है। शपथकर्ती के पुत्र का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। शपथकर्ती का पुत्र मजदूरी आदि करके अपनी माँ व अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जेल में रहने से परिवार भुखमरी का शिकार होगा। शपथकर्ती के पुत्र को यदि माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत का कतई दुरूपयोग नहीं करेगा। न्यायहित में उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा उचित जमानत धनराशि व मुचालके पर रिहा किया जाना आवश्यक व उचित है।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर, अपने सब के सामान्य आशय के अग्रसारण में, वादिनी मुकदमा के ओप्पो कम्पनी के मोबाइल की लूट की गयी तथा वादिनी मुकदमा से लूटे गये मोबाइल की बरामदगी, अभियुक्त के कब्जे से ही हुई है, जिसे अभियुक्त चोरीशुदा/लूट की सम्पत्ति होना जानते हुए, अपने कब्जे में रखे था। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा थाने से प्रकरण से संबंधित केस डायरी आहूत करते हुए, केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्र/केस डायरी के पर्चों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त नीरज कुमार पर, सहअभियुक्त के साथ मिलकर, अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसारण में, वादिनी मुकदमा के ओप्पो कम्पनी के मोबाइल की लूट कारित करने, अभियुक्त द्वारा चोरीशुदा/लूट की सम्पत्ति जानते हुए अपने कब्जे में रखे रहने एवं उक्त लूटे गये मोबाइल की बरामदगी, अभियुक्त के कब्जे से ही किये जाने का आरोप, अधिरोपित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा, अभियुक्त पर अधिरोपित आरोपों की पुष्टि, संबंधित थाना पुलिस द्वारा की गयी विवेचना के दौरान लिये गये, गवाहों के बयानात अंतर्गत धारा-180 बी.एन.एस.एस., अभियुक्त के कब्जे से बरामद किये गये माल मुकदमाती व अन्य साक्ष्य से होना पाते हुए, संबंधित थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त व सहअभियुक्त के विरूद्ध धारा-304(2), 317(2), 3(5) बी०एन०एस० के अंतर्गत आरोपपत्र संख्या-72/2026, दिनांकित-31.05.2026 का तैयार किया जाना अभिकथित करते हुए, उक्त आरोपपत्र को सुनवायी के समय न्यायालय के समक्ष, अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है एवं घटना व बरामदगी का जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपपत्र तैयार किया जा चुका है, अर्थात प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना समाप्त होते हुए, किसी भी साक्ष्य का कोई संकलन अवशेष नहीं रह गया है। अभियुक्त पर आरोपित धारायें तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय होते हुए, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचाराणीय हैं। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अभियुक्त दिनांक 16.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त पाया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त नीरज कुमार का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000-50,000**/-रूपये के दो प्रतिभू व समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त द्वारा इस आशय की अण्डरटेंकिग भी प्रस्तुत की जाये कि- वह विचारण में सहयोग प्रदान करेगा, साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को किसी भी प्रकार से डराते अथवा धमकाते हुए, प्रभावित करेगा।

इस आदेश की एक प्रति जिला कारागार, कानपुर नगर की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित की जाए। अधीक्षक, जिला कारागार, कानुपर नगर इस आदेश से अभियुक्त को सूचित करें तथा उक्त जमानत आदेश उत्तर प्रदेश ई-प्रिजन वेबसाइट पर अपलोड करें।

(रघुबर सिंह)
01.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-22,
कानपुर नगर।
ID No.UP1690

Digitally signed by RAGHUBAR SINGH
Date: 2026.07.06 12:16:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court